Maa Omwati Degree College

Hassanpur

NOTES

Subject → Banking & Banking Law

B.Com Sem: - IV

Session → 2020 - 21

Prepared By → Suman

Syllabus Covered as : M.D. University, Rohtak

Friends

B.Com II - IVth Semester w.e.f. session 2017-18
Optional Paper: Banking and Banking Law
4.06 (ii)

Time: 3 Hours

Max Marks: 80
Internal Marks: 20

Note: - The Examiner shall set nine questions in all covering the whole syllabus. Question No.1 will be compulsory covering all the units and shall carry 8 small questions of 2 marks each. The rest of the eight questions will be set from all the four units. The examiner will set two questions from each unit out of which the candidate shall attempt four questions selecting one question from each unit. All the questions shall carry 16 marks each.

Unit-I

Definition of Bank, Commercial Banks-importance, functions and problems of Non-performing Assets, structure of Commercial Banking system in India.
Credit Creation: Process of Credit Creation and its Limitations.

Unit-II

Regional Rural Banks, Cooperative Banking in India.
Reserve bank of India: Functions, regulation and control of credit, monetary policy.

Unit-III

Determination and Regulation of Interest Rates in India.
Relationship between banker and Customer, Definition of Customer, General Relationship between banker and customer, obligation of banker, Garnishee order, banker's rights.
Special types of Bankers Customers Minor, Married Women, Illiterate persons, Lunatics, Trustees, Executors and Administrators, Customer's attorney, Joint Account, Joint Hindu family, partnership Firm, Joint stock companies, Clubs, Societies and Charitable Institutions.

Unit-IV

Negotiable Instruments:
Definition of Negotiable instruments, Essential features of Negotiable instruments, holder and Holder in Due course.
Rights and Liabilities of parties for Negotiable instruments:
Capacity of parties: Minor's position, legal representative, Liability of parties, Drawer of Bill or Cheque, Liability of Maker of note & Acceptor of Bill, Liability of endorsed Negotiable Instruments without Consideration, Instrument obtained by Unlawful means.
Endorsements:
Meaning of Negotiation, Definition of Endorsement, Legal provisions regarding Endorsement, General rules regarding forms of endorsement, regular forms of Endorsement, Kinds of Endorsement.

Rth Mangl Friends

Page No. | Date

Index

	Topics	Page no.
Unit I	Band and Commercial Bank	1-5
	Non Performing Assets	6-9
	Structure of Commercial Banking System in India.	10-14
	Credit Creation, Process	15-21
Unit II	Regional Rural Bank	22-25
	Cooperative Banking in India	26-27
	R.B.I - function.	28-34
	Regulation and monetary Policy	35-40
Unit III	Interest Rate in India	41-47
	(Banker and Customer Relationship. General,)	48-50
	Obligation of banker, Garnishee order	51-52
	Banker's right	53-54
	Special Types of Bankers Customer	55-61
Unit IV	~~- Same as describe in BRF Unit II~~	
	Negotiable Instrument	62-70
	Holder in Due Course	71-77
	Liabilities of parties	78-81
	~~Cheque~~, Endorsement	81-86

बैंक : परिभाषा तथा कार्य

<u>अर्थ</u> :- साधारण रूप से बैंक से अभिप्राय एक ऐसी संस्था है जो कि मुद्रा का लेन देन करती है यह संस्था लोगों के रुपये अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको ऋण के रूप में उधार देती है। आजकल मुद्रा लेन देन के अतिरिक्त बैंक कई और भी कार्य करते हैं: जैसे साख निर्माण, एजेन्सी कार्य इत्यादि।

भारतीय बैंकिंग कम्पनी एक्ट के अनुसार, "बैंकिंग ~~वह संस्था~~ ~~था~~ से अभिप्राय उधार देने अथवा निवेश के उद्देश्य से जमा रूप में जनता से मुद्रा स्वीकार करना और इनका भुगतान मांगने पर चैक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार के भुगतान करना है"

<u>व्यापारिक बैंक का अर्थ</u> → व्यापारिक बैंक वे बैंक हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग कार्य करते हैं

व्यापारिक बैंक के कार्य को 3 भागों में बांटते हैं

1) प्राथमिक कार्य
2) गौण कार्य।
3) सामाजिक कार्य।

प्राथमिक कार्य :- बैंक के दो प्राथमिक कार्य है
(1) जमा स्वीकार करना (2) ऋण देना।

1) जमा स्वीकार करना :- यह बैंक जनता से धन को जमा करता है। लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार निम्न खातों में रुपया जमा कर सकते है।
1) निश्चितकालीन जमा खाता।
2) चालू जमा खाता -> ब्याज नहीं दिया जाता
3) बचत जमा खाता।
4) होम सेफ बचत खाता
5) आवर्ती जमा खाता -> इस खाते में जमाकर्ता एक निश्चित समय के लिए प्रतिमास रकम जमा करते है।

(2) ऋण देना -
बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों के रुपया उधार देना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नकद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा उधार दे दिया जाता है ये बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते है और उचित जमानत की माँग करते है ऋण की रकम जमानत के मूल्य से कम होती है। बैंक निम्नलिखित प्रकार से ऋण प्रदान करते है
1) नकद साख।
2) ओवर ड्राफ्ट

3. ऋण तथा अग्रिम
4. विनिमय पत्रों की कटौती करना।
5) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश।

गौण कार्य :-> बैंक उपरोक्त प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त कई गौण कार्य जैसे एजेन्ट के रूप में और सामान्य उपयोगिता के कार्य भी करते है।
1.) एजेन्ट के रूप में या प्रतिनिधित्व कार्य
(a) विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान
b) प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री।
c) ट्रस्टी तथा प्रबंधक
d) रुपया भेजना - (ड्राफ्ट)
e) विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय।
f) संदर्भ-पत्र।

2) सामान्य उपयोगिता की सेवाएं :-> व्यापारिक बैंक कुछ इस प्रकार के अन्य कार्य भी करते है जिससे समाज के लोगों को काफी लाभ होता है ये कार्य है
1) लाकर की सुविधा।
2) व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े।
3) निर्देशी के रूप में कार्य करना।
4) हामीदारों के रूप में कार्य करना।
5) साख पत्र जारी करना।
6) उपहार चैक जारी करना।

(3) सामाजिक कार्य या बैंकों का आर्थिक विकास में योगदान → व्यापारिक बैंक देश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए निम्न महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं।

1) पूंजी निर्माण :- व्यापारिक बैंक लोगों की निष्क्रिय जमा को एकत्रित करके उत्पादक कार्यों में निवेश करते हैं जिससे पूंजी निर्माण बढ़ता है।

2) नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन।

3) ब्याज की दर का प्रभाव।

4) ग्रामीण क्षेत्र के विकास में योगदान।

5) माँग वृद्धि में सहायक → बैंक उपभोक्ता साख उपलब्ध कराकर माँग वृद्धि में सहायक होते हैं जिसके फलस्वरूप पूर्ति में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है।

6. मौद्रिक नीति → ये बैंक केन्द्रीय बैंक के निर्देशों के अनुसार साख का विस्तार या संकुचन करते हैं।

7) रोजगार के अवसर में बढ़ोत्तरी

व्यापारिक बैंक तथा अल्पविकसित देश :- अल्पविकसित देशों में व्यापारिक बैंकों का अधिकतर झुकाव केवल व्यवसाय या व्यापार की ओर ही है और कृषि और लघु उद्योग क्षेत्रों की ओर इनका ध्यान बहुत कम है अल्पविकसित देशों में बैंकिंग प्रणाली के सुधार के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं

1) अधिक शाखाएं।

2) छोटी इकाई वाले बैंक

3) बैंकिंग तकनीक - विकासशील अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग तकनीकों तथा पद्धति को अपनाना चाहिए।

4) बैंक समाशोधन तथा प्रेषण।

5) मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण।

6) प्रशिक्षण सुविधाएँ।

गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की समस्याएँ

बैंकिंग व्यवस्था में कई परिसंपत्तियाँ, अब ऐसी भी हैं जिनमें तरलता और लाभदायकता के बीच असंतुलन आ जाता है ऐसी परिसंपत्तियों को गैर निष्पादक परिसंपत्तियाँ कहते हैं, गैर निष्पादक परिसंपत्तियाँ वो हैं जिनसे बैंक के लिए आय का सृजनन समाप्त हो जाता है। जब किसी परिसंपत्ति से होने वाली हानि का डर हो या दिए गए अग्रिम की वसूली शंकापूर्ण हो, गैर निष्पादक परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।

गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के उदय होने के कारण :-

1) गलत प्रयोग – बैंकों द्वारा जो भी राशि उधार दी जाती है, उधार लेने वाले इनका प्रयोग अन्य उद्देश्य के लिए करते हैं, जिससे ऋणी से ऋण वसूली में कठिनाई होती है।
2) उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही न करना।
3) जानबूझकर दोषी → उधार लेने वाले बैंक अधिकारियों से तालमेल बनाए रखते हैं और चाहे जैसे भी हो बैंकों से ऋण लेने में सफल हो जाते हैं।
4) प्राकृतिक कारण और प्रकोप
5) राजनीतिक दबाव → कई बार बैंकों को राजनीतिक दबाव के कारण अग्रिम देने पड़ते हैं।

इन अग्रिमों के पीछे न तो कोई आर्थिक सूझ-बूझ और न ही कोई मूल्यांकन तत्व होता है।

6) व्यापक शाखा विस्तार → विस्तारित शाखाओं में से अधिकतर शाखाएं अनार्थिक सिद्ध हुई हैं, परन्तु इन पर होने वाले खर्चे बदस्तूर कायम हैं जबकि इनसे प्राप्त होने वाली आय न के बराबर है।
7) प्रचालक प्रबंधकों पर वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव
8) आवश्यकता से कम या अधिक वित्त प्रबंध
9) कार्यों के बदले में उचित सुरक्षा का उपलब्ध न होना।
10) बाजार में वस्तु के बेचने में प्रतिस्पर्धा।

समस्या के समाधान के लिए उपाय →
① निवारक उपाय ② उपचारात्मक उपाय
③ कठोर या सख्त उपाय।

निवारक उपाय :- इन उपायों में निम्न उपाय शामिल हैं
(1) वसूली → बैंक अधिकारियों के पास वसूल की जाने वाली राशि के पूरे आँकड़े उपलब्ध होने चाहिए और उसमें से कितनी राशि वसूल करनी है यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विभिन्न स्थानों पर वसूली कैम्प संगठित किए जाने चाहिए।
2) साख समीक्षा तथा प्रबंध → बैंक इकाई का कोष प्रवाह वित्तीय बैंक की उपयुक्त समीक्षा के अभाव में अनियंत्रित है।

उपचारात्मक उपाय :→

1) उपयुक्त ऋण वापसी कार्यक्रम को निश्चित करना

2) ऋणियों के साथ समझौता → समझौते बातचीत द्वारा एक वह करार है जिसमें ऋणी कुछ छूट मिलने के बाद ऋण की कुछ राशि बैंक को देने के लिए तैयार हो जाता है।

3) DICGC के साथ मामलों का निपटारा → यदि जमा बीमा एवं साख गारंटी निगम का आरक्षण उपलब्ध है तब DICGC दावे के लिए बैंक को सारी औपचारिकताएँ पूरी कर लेनी चाहिए और दावे के जल्दी निपटारे के लिए निगम को उचित अनुसरण करना होगा ताकि गैर निष्पादक सम्पत्तियों को कुछ सीमा तक घटाया जा सके।

4) उचित सत्यापन :- बैंकों को ऋण देने से पहले ग्राहक की वित्तीय स्थिति की पूरी जाँच कर लेनी चाहिए ताकि बाद में ऋण वसूली के समय कोई कठिनाई न हो।

5) कम राजनीतिक दबाव :- शासक दल को, जहाँ तक संभव हो सभी बैंकों के लेन देन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

कठोर उपाय :-

कठोर उपायों में सिविल कोर्ट में मुकदमा डालना, वसूली न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर करना, राज्य कानूनों के अन्तर्गत वसूली के प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा आदेशों का पालन करना जहाँ यह साध्य तथा औचित्यपूर्ण है आदि शामिल है।

भारत में व्यापारिक बैंकिंग की संरचना

भारत में व्यापारिक बैंक केवल उन्ही बैंकों को कहते है जिनकी स्थापना भारतीय कंपनी कानून 1913 के अंतर्गत हुई है। भारत का पहला व्यापारिक बैंक 'बैंक ऑफ हिन्दुस्तान' था।

भारत के व्यापारिक बैंकों को दो भागों में बांटा जाता है।

1) **अनुसूचित बैंक** :- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार अनुसूचित बैंक वे बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध हो।

अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की संरचना

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
  - स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा 7 सहायक बैंक
  - राष्ट्रीयकृत बैंक
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- निजी क्षेत्र के बैंक
  - निजी बैंक
  - विदेशी बैंक

गैर अनुसूचित बैंक :- इन बैंकों की पूंजी 5 लाख रुपये से कम होती है ये रिजर्व बैंक की दूसरी श्रेणी में शामिल नही किए जाते। रिजर्व बैंक का इन पर कोई विशेष नियंत्रण नही होता।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा 7 सहायक बैंक :->

भारतीय साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीकरण करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना की गई।

पूंजी - स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी 200 करोड़ थी अब इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया है।

प्रबंधन :- स्टेट बैंक का प्रबंध एक केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा होता है इस बोर्ड में अधिकतम 21 सदस्य हो सकते है।

सहायक बैंक :- इसके 7 सहायक बैंक है

1) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
2) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3) स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
4) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा जयपुर
5) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
7) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर।

उद्देश्य :- स्टेट बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। ~~तथा व्यापारिक हितों~~

राष्ट्रीयकृत बैंक → भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 में 50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ~~जिनके~~ ~~नाम~~ 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया। इसमें से प्रत्येक की कुल जमा 200 करोड़ से अधिक है 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अब 19 हो गई है राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन बैंकों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया है

राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य :-

1) बैंकिंग व्यवस्था में जनता का विश्वास जागृत करना।
2) राष्ट्रीय बचत में वृद्धि।
3) बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार।
4) आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है
5) प्राथमिक क्षेत्र को अधिक साख।
6) विकास के लिए वित्त।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

महात्मा गाँधी के जन्म दिन 2 Oct 1975 को ग्रामीण साख प्रदान करने के लिए एक नई एजेंसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। इन बैंकों का विशेष कार्य मुख्य रूप से

लघु सीमान्त किसानों, कृषि, श्रमिकों, कारीगरों तथा लघु उद्यमियों को ऋण तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करना है प्रत्येक क्षेत्रीय बैंक का संस्थापक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है।

निजी क्षेत्र के बैंक →

निजी बैंक वे बैंक है जिनका स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है 1951 तक में 566 निजी क्षेत्र के बैंक थे उस समय देश में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी व्यापारिक बैंक नहीं था। इसके बाद की अवधि से 1991 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या बढ़ती गई है तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या निरंतर कम होती गई है अब गैर निवासी भारतीय तथा विदेशी कम्पनियाँ भी निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयर खरीद सकती है। नये बैंकों द्वारा उच्च स्तर की आधुनिक ग्राहक सेवाएँ प्रदान की जाती है इसके फलस्वरूप ग्राहक सेवाओं के स्तर में काफी वृद्धि हुई है।

विदेशी बैंक →

विदेशी बैंक वह बैंक है जिसका मुख्य कार्यालय विदेश में स्थित है। इन बैंकों का नियन्त्रण अपने देश के कानून के अनुसार ही किया जाता है।

विदेशी बैंकों के कार्य

- निर्यात व्यापार का अर्थप्रबंधन
- आयात व्यापार का अर्थप्रबंधन
- आंतरिक व्यापार का अर्थप्रबंधन
- अन्य बैंकिंग कार्य

5.

व्यापारिक बैंक - साख निर्माण का प्रक्रिया

साख का निर्माण या साख का विस्तार व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता नकद आरक्षित अनुपात पर निर्भर करती है। व्यापारिक बैंकों के पास जनता की जमाएँ भी साख निर्माण का आधार है। साख निर्माण करके व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करते हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन का स्तर, उपभोग एवं निवेश प्रभावित होते हैं तथा तदनुसार अर्थव्यवस्था में संवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

साख निर्माण की प्रक्रिया → साख निर्माण की क्रिया का अध्ययन दो भागों में किया जा सकता है। (1) एक बैंकिंग प्रणाली अथवा (2) बहु-बैंकिंग प्रणाली।

एक बैंकिंग प्रणाली में साख का निर्माण :-

इस प्रणाली में बैंक के साख निर्माण की क्रिया को दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है

(1) साख गुणक का आधार → बैंक प्राय अपनी प्राथमिक जमा के आधार पर ही साख

का निर्माण करते है। उदाहरण

माना कोई व्यक्ति बैंक में ₹ 1000 जमा कराता है बैंक के लिए यह ₹ 1000 प्राथमिक जमा अथवा नकद जमा है। बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह जानता है कि सभी जमाकर्ता अपनी जमाओं को एक ही समय में नहीं निकलवायेंगे। माना बैंक कुल जमा की 10% नकद में रखकर बाकी की राशी ऋण के रूप में दे देता है। उदाहरण के रूप में बैंक ₹ 100 नकद कोष में रखकर ₹ 900 किसी A व्यक्ति को उधार दे देता है। A B को ₹ 900 का चैक दे देता है B व्यक्ति उस चैक को बैंक में अपने खाते में जमा करवा देता है। बैंक A व्यक्ति के खाते में से 900 निकाल B व्यक्ति के खाते में ₹ 900 जमा कर देगा। इस प्रकार बैंक की जमा में 900 की वृद्धि हो गई। बैंक अब 900 में से 10% नकद कोष में रखकर बाकी 810 C को ऋण दे देता है। इस प्रकार बैंक, जमा खातों के रूप में ऋण देकर साख निर्माण करता है। इस प्रकार कुल साख का निर्माण 9000 होगा तथा बैंक की कुल जमा = नकद जमा + गौण जमा = 1000 + 9000 = 10000 होगी।

(i) साख समीकरण तथा साख गुणांक →

इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है

$$\text{नकद कोष अनुपात} = \frac{\text{प्राथमिक जमा}}{\text{कुल जमा}}$$

$$r = \frac{P}{D} \quad or \quad r = \frac{\Delta P}{\Delta D}$$

ΔP = प्राथमिक जमा में परिवर्तन

ΔD = कुल जमा में परिवर्तन

नकद कोष अनुपात का विपरित $\frac{1}{r}$ साख गुणांक कहलाता है।

$$\frac{1}{r} = \frac{\Delta D}{\Delta P}$$

प्रत्येक चरण में साख में $\Delta P(1-r)$ की वृद्धि होगी।

बैंक जमा में कुल वृद्धि = प्रथम चरण में जमा + दूसरे चरण में जमा + ------ + अंतिम चरण में जमा

$$\Delta D = \Delta D_1 + \Delta D_2 + \Delta D_3 + \cdots + \Delta D_n$$

इसप्रकार यदि प्राथमिक जमा 1000 है और नकद कोष अनुपात 10% है तो कुल जमा 10,000 होगी।

3. बैलेंस शीट का आधार :

साख निर्माण की प्रक्रिया को बैंक द्वारा बैलेंस शीट के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है आरम्भ में जब बैंक में हजार रूपये की प्राथमिक जमा होती है तो उसकी बैलेंस शीट निम्न प्रकार होगी

Liabilities		Assets	
प्राथमिक जमा	₹ 1000	कोष	1000
Total	₹ 1,000	Total	1000

बैंक के पास कोष 1000 दायित्व को जन्म देते हैं बैंक इनमें से 10% रख कर बाकी रकम उधार दे देता है अतः बैंक 900 उधार देगा, बैंक जिसे उधार देगा उसका खाता खोलकर उसमें ₹900 जमा कर देता है इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जमा ऋण को जन्म देता है अंत में बैंक की बैलेंस शीट इस प्रकार होगी

Liabilities ₹		Assets	
Deposits	1000	Reserves Loan	₹ 1000
1	900	1.	900
2	810	2.	810
3	729	3.	729
Total	10,000	Total	10,000

बहु बैंकिंग प्रणाली द्वारा साख का निर्माण :

एक अकेला बैंक अपनी फालतू नकदी से अधिक साख का निर्माण नहीं कर सकता परन्तु बहु बैंकिंग प्रणाली अपनी प्राथमिक जमाओं से कई अधिक गुना साख का निर्माण कर सकती है बहु बैंकिंग प्रणाली में भी साख निर्माण का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है

1) साख गुणक का आधार :- जैसे बैंक A में एक व्यक्ति ने 1000 रु० जमा कराए, A बैंक 100 नकद कोष में रखकर 900 किसी व्यक्ति को उधार देता है वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति को चैक से इस रु० का भुगतान करता है जिसका खाता B में है यह व्यक्ति 900 को B बैंक में जमा करा देगा। B बैंक 900 में से 10% अर्थात् 90 नकद कोष में रखकर 810 उधार देगा। इस प्रकार यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक 1000 जमा के कारण सभी बैंक 9000 की साख निर्माण न कर लें

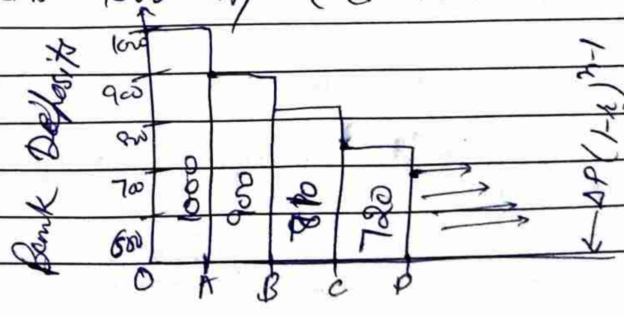

बैलेंस शीट का आधार → माना

एक अर्थव्यवस्था में A, B, C, D तथा कई अन्य बैंक हैं सबसे पहले बैंक A में ग्राहक ₹ 1000 प्राथमिक जमा करता है तो

Primary Balance Sheet of Bank 'A'

Liabilities		Assets	
Deposits	₹ 1000	Reserve	₹ 1000
Total	1000	Total	₹ 1000

बैंक 10% सुरक्षित रखकर ₹ 900 उधार दे देता है तो A की

Final Balance Sheet

Deposits	₹ 1000	Reserve	₹ 100
		Loan	900
Total	1000	Total	1,000

ग्राहक ₹ 900 के इस ऋण को बैंक B में जमा करा देता है तो -

Primary Balance Sheet of B

Deposits	₹ 900	Reserve	900
Total	900		900

B 10% रखकर 810 उधार देता है तो

Final Balance Sheet of B

Deposits	₹ 900	Reserve	90
		Loans	810
Total	900	Total	900

इस प्रकार यह प्रक्रिया C, D, E, F आदि तक चलती रहेगी जब तक सारी जमा ऋण के रूप में नहीं दे दी जाती इस प्रकार सब बैंक मिलकर ₹ 9000 की नई जमा का सृजन करेंगे। कुल जमा बढ़कर 10,000 हो जाती

बैंक	नई जमाएँ	आवश्यक कोष	नए ऋण
A	1000	100	900
B	900	90	8100
C	810	81	729
अन्य	729	—	—
कुल	10,000	1,000	9,000

साख निर्माण की सीमाएँ → बैंक असीमित मात्रा में साख का निर्माण नहीं कर सकते। उनके साख निर्माण की शक्ति बहुत से तत्वों पर निर्भर करती है जिनका विवरण निम्नलिखित है।

1) नकद आरक्षित अनुपात
2) प्राथमिक जमाओं की मात्रा
3) लोगों की बैंकिंग संबंधी आदतें
4) केन्द्रीय बैंकों की साख संबंधित नीति।
5) अन्य बैंकों की साख नीति।
6) चलन में रिसाव।
7) प्रतिभूतियों का स्वरूप।
8) व्यापारिक तथा औद्योगिक स्थिति।

Unit II

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इस आशय से की गई कि ये ग्रामीण साख को बढ़ावा देंगी, ये नाबार्ड तथा मूल वाणिज्यिक बैंकों के मार्गदर्शन के अन्तर्गत विशेष रूप से स्थापित वित्तीय संस्थाएँ हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में फैली हैं और एक विशेष क्षेत्र अथवा जिला अपनी शाखाओं के नेटवर्क द्वारा उनको वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एवं आवश्यकता यह थी कि ये बैंक उन छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों तथा कारीगरों को साख एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगी जिनकी साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी बैंक तथा व्यापारिक बैंक जैसी वर्तमान साख संस्थाएं पर्याप्त रूप से पूरी नहीं कर सकती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य →

1) कृषि क्रियाओं से संबंधित कार्य →
① ऋण एवं अग्रिम देना
2. भुगतान प्राप्तकर्ता

③ साहूकारों से मुक्ति।
④ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
⑤ जमाएँ स्वीकार करना।
⑥ साख की लागत कम करना।
⑦

2) गैर कृषि क्रियाओं से संबंधित कार्य:

① कारीगरों को ऋण।
② छोटे उद्यमियों को ऋण।
③ उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करना।

3) निर्धनता उन्मूलन – निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंपी है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को धर्म, जाति तथा लिंग का ध्यान किए बिना वे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल करें।

4) पुनः वित्त की सुविधा – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक NABARD से अल्पकालीन तथा मध्यकालीन अग्रिम के रूप में पुनः वित्त सुविधा प्राप्त करते हैं अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सोने के आभूषणों, इन्दिरा विकास पत्र आदि की जमानत पर ग्रामीणों को ऋण व अग्रिम देने लगे हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याएं :→

ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों के स्थापित हो जाने से लोगों में बैंक संबंधी आदतें जाग्रत हो गई हैं परन्तु इस प्रगति के बावजूद भी RRBs निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

1) संगठन से सम्बन्धित समस्याएं।
2) वसूली से सम्बन्धित समस्याएं।
3) बढ़ती हानियों से संबंधित समस्याएं।
4) प्रबन्ध से संबंधित समस्याएं।
5) स्पॉन्सरिंग बैंकों की शाखाएँ।
6) दोषपूर्ण व्याप्ति क्षेत्र।
7) दोषपूर्ण भर्ती नीति।
8) मानदण्डों की कठोरता।
9) साधनों की कमी।
10) जमा एकत्रित करने में कठिनाई।
11) दोषपूर्ण साख नीति।
12) ऋण लेनदेन की ऊँची लागतें।

सुधार के लिए सुझाव :

1) स्वामित्व तथा नियंत्रण।
2) कोषों का प्रबन्ध।
3) लक्ष्य तथा प्रयोजन।
4) व्यापित क्षेत्र तथा शाखा विस्तार।
5) कर्मचारी तथा प्रशिक्षण।
6) कृषि आधारित उद्योगों का विकास।

7. ग्रामीण वित्त में नेता।
8) उच्च पूंजी।
9) स्पांसर बैंक के लिए सुझाव।
10) केन्द्रीय सरकार के लिए सुझाव।
12) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सुझाव।

सहकारी बैंक

सहकारिता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है सह + कार्य। इसका अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। यह एक ऐसा बैंकिंग संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समान स्तर पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए संगठित होते हैं।

भारत में सहकारी बैंकिंग का महत्व :-
भारत को सहकारिता से निम्न लाभ मिलने की आशा है

1) ब्याज की कम दर।
2) कृषि उत्पादन में वृद्धि।
3) ग्रामीण जीवन की उन्नति।
4. बचत को प्रोत्साहन
5) नैतिक लाभ
6) सामाजिक लाभ।
7) शिक्षा संबंधी लाभ।
8) योजना में सहयोग।

सहकारी बैंकिंग की धीमी प्रगति होने के कारण →

1) सरकार का अधिक हस्तक्षेप।
2) सहकारिता के सिद्धांतों के ज्ञान का अभाव।
3) धन की कमी।
4) केवल उत्पादक ऋण।
5) अशिक्षा।

7. अकुशल प्रबंध।
8. दलबंदी।
9. असीमित दायित्व।
10) बचत का अभाव।

सुझाव :- भारत में सहकारी बैंकिंग का विकास बहुत धीमा रहा है इस बैंकिंग प्रणाली की सफलता निम्न तत्वों पर निर्भर करती है

1. प्राथमिक समितियों का पुनर्गठन
2) सहकारी बैंकिंग का प्रचार
3) बचत → सहकारी बैंकों को गाँवों और शहरों में होती, २ बचत इकट्ठी करने का प्रयत्न करना चाहिए
4. फसलों के आधार पर साख।
5) प्रशिक्षण - सहकारी बैंकिंग की शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया जाना चाहिए
6) कम सरकारी नियंत्रण
7) सहकारी बैंकों का पुनर्गठन।
8) दीर्घकालीन साख।
9) सरकारी सहायता :- यदि सरकार किसानों की सहायता बैंकों द्वारा करेगी तो ये अधिक लोकप्रिय बन जाएंगे और उनकी सदस्यता बढ़ेगी।
10) ऋण नीति में सुधार।
11) दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन सहकारी साख का समन्वय।

भारतीय रिजर्व बैंक: कार्य तथा साख नियंत्रण

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भारतवर्ष का केंद्रीय बैंक है। इस बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल, 1935 को हुई। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीकरण कर दिया गया।

रिजर्व बैंक केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य जैसे नोटों का निर्गमन, सरकार के सभी बैंकिंग कार्य, विनिमय नियंत्रण, साख नियंत्रण आदि करता है। यह बैंक देश की मौद्रिक नीति के निर्माण में सरकार को सलाह देता है। देश में निर्धनता, क्षेत्रीय असमानता तथा बेरोजगारी दूर करने का प्रयत्न करता है। संक्षेप में रिजर्व बैंक विकासात्मक तथा बैंकिंग दोनों प्रकार के कार्य करता है।

संगठन तथा प्रबंध → R.B.I. का प्रबंध एक केंद्रीय संचालक बोर्ड द्वारा किया जाता है। वर्तमान संचालक बोर्ड में 20 सदस्य हैं। गवर्नर और चार उप गवर्नर के अतिरिक्त 4 संचालक, चारों स्थानीय संचालक बोर्डों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके

अतिरिक्त 10 संचालक तथा एक सरकारी अधिकारी सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बैंक का प्रधान कार्यालय बम्बई में स्थित है। इस बैंक के 4 कार्यालय तथा 14 शाखाएँ हैं।

रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य → इन बैंकों के कार्यों को 3 भागों में बांटा जाता है।

A) परंपरागत कार्य।
B) विकासात्मक कार्य।
C) विनियमन कार्य।

रिजर्व बैंक के परंपरागत कार्य →
रिजर्व बैंक के परंपरागत कार्यों का निम्न भागों में बांटा जा सकता है।

1) केन्द्रीय बैंक के कार्य →
1) नोट निर्गमन के कार्य → रिजर्व बैंक को नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। जनता का कागजी मुद्रा में विश्वास रखने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट के अनुसार नोटों के पीछे आरक्षित निधि रखने की व्यवस्था की गई है।
2) साख नियमन के कार्य → साख के नियमन करने का अर्थ बैंकों का ऋण देने की नीति पर नियंत्रण करने से है।

3. बैंकों का बैंकर

4. रिजर्व बैंक सरकारी बैंक है। R.B.I केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार का बैंकर है सरकार के सभी बैंकिंग कार्य R.B.I द्वारा निभाए जाते हैं।

5) विनिमय नियंत्रण का कार्य।

6) अन्य कार्य →

1) निर्यात सहायता।
2) समाशोधन गृहकार्य।
3) मुद्रा परिवर्तन।
4) मुद्रा का स्थानांतरण
5) सूचना प्रकाशन।

साधारण बैंकिंग के कार्य →

1) जमा स्वीकार करना।
2) बिलों का क्रय विक्रय
3) ऋण देना
4. कृषि बिलों का क्रय विक्रय / (अधिकतम 15 महीने)
5) विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय / (अधिकतम अवधि 10 वर्ष)
6) ऋण लेना → आवश्यकता पड़ने पर यह बैंक सम्पत्ति की जमानत पर अधिकतम 30 दिन का ऋण ले सकता है।
7) रिजर्व बैंक सोने तथा चाँदी के सिक्कों तथा सोने चाँदी का क्रय विक्रय करता है।
8) अन्य देशों के बैंकों से व्यवहार – RBI IMF का सदस्य होने के नाते अन्य सदस्यों के केन्द्रीय बैंकों के साथ खाता खोल सकता है।

रिजर्व बैंक के विकासात्मक कार्य →

रिजर्व बैंक ने देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान दिया है। यह केन्द्रीय बैंक के रूप में अपने कार्य में काफी सफल रहा है। भारत के आर्थिक विकास में R.B.I का महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित है।

1) कृषि वित्त व्यवस्था का विकास → R.B.I ने आरम्भ से ही कृषि साख विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का मुख्य कार्य साख से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना है। इसके अतिरिक्त यह विभाग भारत सरकार, राज्य सरकारों को कृषि का विकास करने के लिए समय-समय पर सलाह भी देता है। R.B.I किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं देता ग्रामीण साख के क्षेत्र में R.B.I का महत्वपूर्ण योगदान है। रिजर्व बैंक ने विभिन्न समयों पर कृषि साख के संबंध में निम्नलिखित योगदान दिए हैं।

1) अल्पकालीन कृषि साख।
2) मध्यकालीन कृषि साख।
3) दीर्घकालीन कृषि साख।

2) औद्योगिक वित्त व्यवस्था का विकास

R.B.I देश के औद्योगिक विकास

के लिए काफी सहायता प्रदान करता है। R.B.I ने औद्योगिक वित्त के संबंध में निम्नलिखित मुख्य सुविधाएँ दी हैं।

1) विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना → R.B.I के सहयोग से IFCI, IDBI, SFC, ICI, SIDBI आदि विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की गई है।

2) बड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक साख कोष की स्थापना की थी।

3) लघु उद्योगों के लिए साख गारण्टी संगठन बनाया गया है। ऋण लेने वाली संस्था जितनी रकम का भुगतान करने में असमर्थ रहती है उसमें से 75% का दायित्व इस संगठन को सहन करना पड़ता है।

4) बीमार औद्योगिक इकाइयों की सहायता के लिए बीमार औद्योगिक इकाई विभाग स्थापित किया गया है।

5) निर्यात व्यापार का विकास

R.B.I ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं

1) निर्यात बिल साख योजना ⊕ विदेशी व्यापार के लिए ब्याज की कम दर पर ऋणों की व्यवस्था।

2) 1 जनवरी 1982 को निर्यात आयात व्यापार को साख की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए EXIM भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई है।

9) रिजर्व बैंक का विनियमन कार्य →

RBI का एक महत्वपूर्ण कार्य केन्द्रीय बैंक के रूप में देश की मौद्रिक नीति का निर्माण तथा संचालन करता है।

रिजर्व बैंक के मौद्रिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। देश में आर्थिक विकास की दर को तीव्र करने के लिए रिजर्व बैंक ने साख विस्तार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। कृषि उद्योग, यातायात, आयात आदि की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए R.B.I ने मुद्रा तथा साख के विस्तार की उदार नीति अपनाई है।

(रिजर्व बैंक की उपलब्धियाँ) → रिजर्व बैंक की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

1) लोचशील मौद्रिक नीति।
2) ब्याज की दरों का स्थिर ढाँचा।
3) आधुनिक बैंकिंग तथा साख संगठन।
4) सस्ती दर पर धन हस्तांतरण सुविधाएँ
5) सार्वजनिक ऋण पर सफल प्रबंध।
6) विनिमय स्थिरता।
7) बैंकिंग क्षेत्र में जनता का बढ़ता हुआ विश्वास।
8) भारतीय मुद्रा बाजार की केंद्रीय अधिकारी)
9) बिल बाजार का विकास
10) साख का विचारपूर्ण बंटवारा।
11) मौद्रिक स्थिरता।
12) आर्थिक विकास में योगदान।

(भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति

मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा किसी देश की सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 1) मुद्रा की पूर्ति (2) मुद्रा की उपलब्धता तथा मुद्रा की लागत या ब्याज की दर को नियन्त्रित करती है।

D. C. Aston – "मौद्रिक नीति का संबंध ब्याज की दर तथा साख की उपलब्धि को नियंत्रित करके कुल माँग के स्तर तथा संरचना को प्रभावित करने से है।"

मौद्रिक नीति के उद्देश्य – मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

1) पूर्ण रोजगार → पूर्ण रोजगार की स्थिति वह स्थिति है जिसमें देश के उन सभी व्यक्तियों को जो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार होते हैं तथा योग्य होते हैं काम प्राप्त होता है।

2) आर्थिक विकास :→ आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में निरन्तर वृद्धि होती है।

3. कीमत स्थिरता → कीमत स्थिरता से अभिप्राय है कीमतों में अधिक तेजी या मन्दी का नहीं होना।

4) विदेशी विनिमय की स्थिरता → भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना तथा विदेशी विनिमय दर की स्थिरता को कायम रखना मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

5) आर्थिक असमानता में कमी → मौद्रिक नीति का उद्देश्य आय तथा धन के वितरण की असमानता को कम करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक अथवा साख विधि → रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के तरीकों का अध्ययन दो भागों में किया जाएगा ;

1) परिमाणात्मक साख नियंत्रण ।
2) चयनात्मक साख नियंत्रण ।

परिमाणात्मक साख नियंत्रण → रिजर्व बैंक अग्रलिखित उपायों द्वारा साख के कुल परिमाण पर नियंत्रण रखता है।

1) बैंक दर → यह ब्याज की वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंक को ऋण देता है।

1) विभेदीकृत ब्याज की दरें → RBI ने Oct 1960 में मौद्रिक नीति को एक नई तकनीक विभेदीकृत ब्याज दर अपनाई।

2) खुले बाजार की क्रियाएं – RBI की खुले बाजार की क्रियाएं मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित रहती है।

3) परिवर्तनशील नकद कोषों का अनुपात
RBI साख नियंत्रण के लिए बैंकों की नकद जमा राशि पर नियंत्रण रखता है।

5) वैधानिक तरल कोषानुपात → प्रत्येक बैंक को एक निश्चित / वैधानिक तरल कोष अनुपात अपने पास रखना पड़ता था इसका प्रयोग मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए किया जाता है।

6) प्रत्यक्ष कार्यवाही → यदि कोई बैंक रिजर्व बैंक की साख नीति का पालन नहीं करता तो RBI उसके खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है।

7) साख अधिकरण योजना → इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को नियमित करना है।

8) नैतिक प्रभाव → RBI ने समय-2 पर नैतिक प्रभाव डालकर तथा बैंकों को समझा बुझाकर भी साख नियंत्रण का कार्य किया है।

चयनात्मक साख नियंत्रण →

चयनात्मक साख नियंत्रण से अभिप्राय उस साख नियंत्रण से है जिसके अन्तर्गत केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली साख पर नियंत्रण किया जाता है सन् 1956 से RBI ने इस प्रकार के साख नियंत्रण का काफी प्रयोग करना आरम्भ किया है चयनात्मक साख नियन्त्रण के लिए RBI ने निम्न तरीके अपनाए है।—

1) ऋणों की छूट संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन → RBI दूसरे बैंकों को इस बात का आदेश देता है कि वे विभिन्न वस्तुओं के लिए दिए जाने वाले ऋणों की छूट संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन कर दे।

2) ऋणों की अधिकतम सीमा → RBI ने सट्टा प्रवृति को रोकने के लिए ऋणों की अधिकतम सीमा भी निश्चित

कर दी इससे अधिक ऋण के लिए बैंक को RBI की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था।

3) साख की राशनिंग → इसके अनुसार RBI यह तय कर देता है कि किसी बैंक को अधिक से अधिक कितनी साख मिल सकेगी अथवा कोई बैंक अधिक से अधिक कितने रुपयों के बिलों का भुगतान कर सकेगा।

मौद्रिक नीति में सुधार के लिए सुझाव

RBI ने 1982 में श्री S.K. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति के कार्यकरण का पुनर्मूल्यन करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी इस समिति को चक्रवर्ती समिति कहा जाता है इस समिति की मुख्य सिफारिशे अग्रलिखित है।

1) कीमत ~~स्थिति~~ स्थिरता → मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य कीमत स्थिरता होना चाहिए

2) मौद्रिक तथा राजकोषिय नीतियों में समन्वय करने के लिए बजटिंग घाटे की धारणा को पुन: पारिभाषित किया जाना चाहिए।

3) लोचशील ब्याज की दर अपनानी होगी।

4) मुद्रा बाजार का पुनर्गठन ⇒ ऐसा करके उसे अधिक कार्यकुशल बनाया जाना चाहिए।

5) मुद्रा पूर्ति का लक्ष्य निर्धारण कर दिया जाना चाहिए।

6) साख नियोजन → देश की आर्थिक योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार साख के क्षेत्रीय बंटवारे के संबंध में साख बजटिंग की जानी चाहिए।

Unit III

Determination and Regulation of Interest rates in India

(भारत में ब्याज दरों का निर्धारण एवं नियमन)

ब्याज तथा ब्याज दर → किसी निश्चित अवधि में उधार दिए गए कोषों के लिए दी गई कीमत को ब्याज कहा जाता है। मौद्रिक ब्याज की दर से अभिप्राय ब्याज दर की उस राशि अथवा % से है। बाजार में प्रचलित ब्याज की दर पर दिया जाता है जैसे 10%, 12% इसके विपरीत ब्याज की वास्तविक दर से अभिप्राय उस दर या राशि से है जो मौद्रिक ब्याज दर में से स्फीति दर को घटा कर दी जाती है।

वास्तविक ब्याज की दर = मौद्रिक ब्याज की दर − स्फीति दर

बाजार की ब्याज की दर का निर्धारण ⇒

ब्याज दर के निर्धारण से संबंधित सामान्यता चार सिद्धान्त अध्ययन के विषय में आते हैं।

1) ब्याज का परंपरावादी सिद्धान्त :->

इस सिद्धान्त के अनुसार उत्पादकता मितव्ययिता त्याग आदि वास्तविक तत्वों के कारण ब्याज उत्पन्न होता है ये वास्तविक तत्व ब्याज की दर पर निर्भर करते है जिस ब्याज की दर पर बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाते है (S = I) वहा पर ही ब्याज का निर्धारण हो जाता है

2) ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धान्त :->

कीन्स के अनुसार किसी निश्चित काल में मुद्रा की पूर्ति तो देश में स्थिर रहती है अतः ब्याज की दर मुद्रा की माँग पर निर्भर करती है मुद्रा की माँग मुद्रा को नकदी में रखने के लिए की जाती है अतः ब्याज इस नकदी अधिमान के त्यागने का पुरस्कार है मुद्रा की पूर्ति देश में परिचलन मुद्रा तथा बैंक जमा पर निर्भर करती है ब्याज की दर का निर्धारण उसी बिन्दु पर हो जाता है जहां मुद्रा की माँग मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाती है तरलता अधिमान अधिक होने पर ब्याज की अधिक और तरलता अधिमान

के कम हो जाने पर ब्याज की दर कम हो जाती है

ब्याज का आधुनिक सिद्धान्त (प्रो० हिक्स)

ब्याज की संतुलित दर एक ओर तो मुद्रा की पूर्ति तथा माँग (तरलता अधिमान) को प्रभावित करने वाले मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करती है तथा दूसरी ओर बचत और निवेश को प्रभावित करने वाले वास्तविक तत्वों पर निर्भर करती है इस सिद्धान्त में ब्याज और आय के विभिन्न स्तरों पर मुद्रा की पूर्ति तथा माँग की समानता तरलता मुद्रा वक्र द्वारा तथा बचत और निवेश की समानता निवेश बचत वक्र द्वारा व्यक्त होती है यदि दोनों वक्र जिस बिन्दु पर एक दूसरे को काटते है वह बिन्दु ब्याज दर का संतुलन बिन्दु होता है

ऋण योग्य कोष सिद्धान्त :->

प्रो० पीटरसन के शब्दों में " ऋणयोग्य सिद्धान्त के अनुसार ब्याज वह कीमत है जो ऋणयोग्य कोष की माँग तथा पूर्ति को संतुलित करती है"

ऋणयोग्य कोष की पूर्ति →

ऋणयोग्य कोष की पूर्ति मुख्य रूप से चार बातों पर निर्भर करती है:

1) बचत :- बचतें व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा सरकारी क्षेत्र तीनों द्वारा की जाती हैं।

2) बैंक साख → ब्याज की एक न्यूनतम दर के बाद बैंक साख ब्याज सापेक्ष होती है।

3) बचतों का असंचय :- लोग मुद्रा का जो संचय करते हैं उसे उधार दे देते हैं।

4) अनिवेश :- अनिवेश से अभिप्राय यह है कि मशीनों के घिसने पर उनका प्रतिस्थापन नहीं किया जाए।

∴ ऋणयोग्य कोष की पूर्ति =

$= S + B + DH + DI$

ऋणयोग्य कोष की माँग → यह तीनों क्षेत्र द्वारा की जाती है ये क्षेत्र हैं

1) निवेश
2) उपभोग
3) संचय

ब्याज का निर्धारण → ब्याज की दर उस स्तर पर निर्धारित होती है जिस पर ऋणयोग्य कोष की माँग और पूर्ति बराबर होती है।

Demand for lonable funds = Supp. of Loan. fund

$I + C + H = S + B + DH + DI$

$(I - DI) + (H - DH) = (S - C) + D$

or Net Investment + Net Hoarding = Net Saving + Bank Credit

आलोचना → लार्ड कीन्स ने इस सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार से की है

1) संचय की गलत धारणा।
2) अनिर्धारणीय
3) विभिन्न तत्वों का मिश्रण।
4. पूर्ण रोजगार की अवास्तविक धारणा।
5) आय पर निवेश के प्रभाव की उपेक्षा।

प्रो० जानसन के अनुसार ऋणयोग्य सिद्धान्त ब्याज निर्धारण का एक गत्यात्मक सिद्धान्त है। इससे यह ज्ञात होता है कि परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर ब्याज तथा आय का स्तर एक संतुलन बिन्दु तक कैसे पहुंचता है।

भारत में ब्याज दरों का नियमन →

ब्याज दरों के नियमन का विषय एक बहुत ही जटिल विषय है। इस कार्य के लिए चक्रवर्ती समिति बनाई गई इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन् 1985 में प्रस्तुत की। इस समिति की सिफारिशों में मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नियमन में सुधार करना है ताकि कीमत स्थिरता को प्रोत्साहन मिले। ब्याज दरों के नियमन के संबंध समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है

1) ब्याज की लोचशील दरें :— इस संदर्भ में समिति का यह कहना है कि साख की कीमत बहुत कम नहीं होनी चाहिए चाहे वह सरकार अथवा सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में व्यापारिक उधार लेने वाले ही क्यों न हो।

2) ब्याज दरें तथा मौद्रिक स्फीति की अनुमानित दरें :— मौद्रिक तथा वास्तविक ब्याज दरों में संबंध स्थापित किया जाए।

3) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें → सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों में ऊपर की ओर संशोधन होना चाहिए

ताकि खुले बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बन सकें और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को आकर्षित कर सकें।

4) बैंक की जमा तथा उधार देय दरें → ये दोनों दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की जानी चाहिए और 5 वर्ष की बदलती परिपक्वता के बीच जमाओं पर ब्याज बैंकों पर छोड़ देना चाहिए।

Bankers and Customer Relationship

बैंकर-ग्राहक संबंध एक विशेष प्रकार का इकरारनामा होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को मूल्यवान मदें इस आशय से सौंपता है कि माँगने पर दूसरा व्यक्ति इन मदों को उसे लौटा देगा।

बैंक शब्द का उद्‌गम ग्रीक शब्द बान्‍क से हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से बैंक से अभिप्राय वह संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है। बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है और जनता को ऋण देता है इसके अतिरिक्त बैंक अन्य कई कार्य भी करता है जैसे- साख निर्माण, एजेंसी कार्य आदि।

विनिमय पत्र अधिनियम 1882 के अनुसार "लोगों का एक ऐसा निकाय जो बैंकिंग का व्यवसाय करता है, बैंकर कहलाता है चाहे वह निगमित हो या न हो।"

बैंक के ग्राहक का अर्थ :->

एक व्यक्ति बैंक का ग्राहक तब बनता है जब वह बैंक में अपने में खाता खुलवाता है। बैंक मुद्रा या चैक को स्वीकार करके उस व्यक्ति के नाम का खाता खोलता है। इसके बाद

वह बैंक का ग्राहक कहलाने का अधिकारी बन जाता है बैंक का अधिकारी बनने के लिए निम्न अनिवार्यताओं को पूरा करना आवश्यक है।

1) बैंक में किसी एक प्रकार के खाते का होना
2) एक ही लेन देन से ग्राहक बन जाता है
3) कार्यवाही में बैंकिंग प्रकृति की होनी चाहिए

यह आवश्यक नहीं कि ग्राहक कोई व्यक्ति हो एक फर्म एक संयुक्त पूंजी कम्पनी या कोई सोसाइटीया भी बैंक का ग्राहक हो सकता है

एक ग्राहक की योग्यता :-

1) ग्राहक बालिग होना चाहिए।
2) ग्राहक स्वस्थ चित होना चाहिए।
3) किसी कानून द्वारा वर्जित नहीं होना चाहिए
4) एक प्रस्ताव का होना तथा उस प्रस्ताव की स्वीकृति का होना जरूरी है

बैंकर और ग्राहक के बीच सामान्य संबंध :->

बैंकर तथा ग्राहक के लिए लेनदार-देनदार तथा देनदार लेनदार संबंध को सामान्य संबंध कहा जाता है जमा स्वीकार करना तथा उधार देना किसी बैंक के दो सामान्य कार्य होते हैं इन दोनों प्रमुख कार्यों से उत्पन्न होने वाले संबंध को ही सामान्य संबंध कहते हैं

ऋणी तथा ऋणदाता संबंध :→

जब कोई ग्राहक किसी बैंक में रुपया जमा करता है तब से ऋणी और ऋणदाता का संबंध स्थापित हो जाता है। बैंकर का केवल यही दायित्व होता है कि वह उस ऋण को जब भी ग्राहक माँगे उसे लौटा दे। बैंक किसी भी प्रकार की जमानत जमाकर्ता को नहीं देता। जमा राशि अक्षुण्ण तथा सुरक्षित रहती है तथा प्रतिफल के रूप में उस पर ब्याज भी चुकाया जाता है।

ऋणदाता तथा ऋणी संबंध :→

जब एक बैंक अपने ग्राहक को ऋण देता है या कोई अन्य साख सुविधाएँ प्रदान करता है तो ग्राहक ऋणी और बैंकर ऋणदाता बन जाता है। इस स्थिति में बैंकर के हाथ में ग्राहक का पैसा नहीं होता बल्कि ग्राहक के हाथ में बैंकर का पैसा होता है।

बैंकर ग्राहक की समाप्ति :→

यह संबंध किसी भी समय बैंकर या ग्राहक द्वारा समाप्ति सूचना देने पर समाप्त हो सकता है।

एक बैंकर के दायित्व :→

सामान्यतया, बैंक का एक मुख्य दायित्व है कि वह अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करे और उन्हें वे सब सेवाएँ प्रदान करे जो कि बैंकर तथा ग्राहक के संविदात्मक संबंध के लिए आधारभूत होती हैं। ग्राहक के प्रति एक बैंकर के निम्नलिखित कर्तव्य तथा दायित्व होते हैं :—

1) चैक स्वीकारना :→ बैंक का वैधानिक दायित्व है कि वह ग्राहक द्वारा जारी किए गये चैक को स्वीकार करे।

2) लेखे संबंधी गोपनीयता बनाए रखना :→ बैंक की यह जिम्मेदारी है कि ग्राहकों की लेखे संबंधी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को न दे।

3) स्थायी आदेश :→ बैंक का यह कर्तव्य है कि ग्राहक के भुगतान संबंधी आदेश की सही समय पर भुगतान करे।

4. लेन देन का उपयुक्त रिकार्ड रखना बैंक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है।

5) न्यायालय के आदेशों को स्वीकार करना।

बैंकर का यह भी कर्तव्य है कि वह न्यायालय द्वारा जारी आदेश (कुर्की गारनिशी आदेशों) का पालन करे।

कुर्की (गारनिशी) आदेश →
गारनिश शब्द की उत्पत्ति पुराने फ्रेंच शब्द गारनिर से हुई है जिसका अर्थ चेतावनी या तैयार है। उस व्यक्ति या संस्था को अनुऋणी कहते हैं जो निर्णीत ऋणी का ऋण का भुगतान करने या उसे कोई चल संपत्ति सौंपने के लिए जिम्मेदार होता है। अनुऋणदाता एक निर्णीत ऋणदाता अथवा डिक्री धारक होता है ऋणी की सम्पत्ति तक पहुंचने के लिए अनुऋणीकरण की कार्यवाई का आरंभ करता है। ऐसा माना जाता है कि यह संपत्ति तीसरे पक्ष के पास होती है।

बैंकर के अधिकार → बैंकर तथा ग्राहक के बीच का संबंध संविदात्मक होता है। प्रत्येक के कुछ अधिकार तथा दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। बैंकर का अधिकार निम्नलिखित है।

1) ग्रहणाधिकार → लेनदार के उस अधिकार को जिसके द्वारा वह देनदार की वस्तुओं प्रतिभूतियों तथा अन्य संपत्तियों को अपने कब्जे में तब तक रखता है जब तक कि देनदार उसे ऋण नहीं लौटाता ग्रहणाधिकार कहते हैं। ग्रहणाधिकार दो प्रकार के होते हैं।

(1) विशिष्ट ग्रहणाधिकार → विशिष्ट ग्रहणाधिकार के अन्तर्गत केवल उन्ही वस्तुओं पर कब्जे का अधिकार होता है जिनके आधार पर ऋण लिया जाता है। इसे साधारण ग्रहणाधिकार भी कहा जाता है। यदि बैंक विशिष्ट ऋण के लिए विशिष्ट जमानत प्राप्त करता है तब बैंकर का अधिकार विशिष्ट ग्रहणाधिकार में बदल जाता है।

(2) सामान्य ग्रहणाधिकार → सामान्य ग्रहणाधिकार के अनुसार लेनदार को किसी भी वस्तु को कब्जे में रखने का तब तक कानूनी अधिकार प्राप्त होता है जब तक कि देनदार द्वारा सम्पूर्ण ऋण वापस नहीं किया जाता।

सामान्य ग्रहणाधिकार में सम्मिलित अधिकार इस प्रकार है।

① क्षतिपूर्ति का अधिकार → बैंकर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ग्राहक के खाते की क्षतिपूर्ति करे। यह अधिकार उस जमा राशि पर लागू होता है जो देय है अर्थात जो निश्चित है न कि आकस्मिक यह भावी रकमों पर लागू नहीं होता।

② विनियोग का अधिकार → ग्राहक को यह अधिकार है कि वह बैंकर को आदेश दे कि उनके द्वारा कौन से ऋण के भुगतान का विनियोग किया जाना है।

③ ब्याज कमीशन तथा आकस्मिक शुल्क आदि को लेने का अधिकार → बैंकर को यह निहित अधिकार है कि वह ग्राहक को दी गई या बेची गई सेवाओं के लिए कीमत वसूल करे।

कुछ विशेष प्रकार के बैंक ग्राहक

विशेष प्रकार के ग्राहक वे होते है जो कुछ विशेष लक्षणों के कारण साधारण ग्राहकों से भिन्न होते है तथा बैंक उनके साथ बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करता है क्योंकि वे इतने क्रियाशील नहीं होते है कि बैंक के साथ कोई औपचारिक समझौता या संविदा कर सकें। अतः उन्हें विशेष प्रकार के ग्राहक कहा जाता है। नाबालिग विवाहित महिलाएँ नेत्रहीन शराबी आदि को विशेष बैंक ग्राहकों में सम्मिलित किया जाता है।

विशेष प्रकार के बैंक ग्राहक →

① नाबालिग → नाबालिग उस व्यक्ति को कहते है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है और अभिभावक की नियुक्ति की स्थिति में यह 21 वर्ष होती है।

Indian Contact Act 1872 के अधीन

एक नाबालिग किसी प्रकार की संविदा करने के योग्य नहीं होता। अतः बैंकर को एक नाबालिग के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए।

2) पागल :-> बैंकर को एक पागल व्यक्ति का खाता नहीं खोलना चाहिए ऐसी बैंकर ने किसी ऐसी बिल को बट्टा काटा हो जिसे एक पागल ने लिखा स्वीकारा तथा बेचान किया हो तो वह उसमें लिखित राशी को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकता है सिवाय उस परिस्थिति के जहां यह साबित हो जाए कि बैंकर बट्टा काटने के ~~लिए~~ समय संबंधित व्यक्ति के पागलपन के बारे में जागरूक था।

3) अनपढ़ :- एक अनपढ़ व्यक्ति वह होता है जो किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने तथा समझने में असमर्थ होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति संविदा करने के योग्य होता है और बैंक उसके नाम का खाता खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति का खाता खोलते समय बैंक को हस्ताक्षर के स्थान पर उसके अंगूठे का निशान ले लेना चाहिए और साथ ही उसके नवीन फोटोग्राफ की एक प्रति भी ले लेनी चाहिए। आवेदन पत्र तथा फोटोग्राफ किसी अनुमोदित साक्षी से अनुप्रमाणित करा लेने चाहिए। सामान्यतः अनपढ़ व्यक्ति के नाम के खाते पर कोई चैक-बुक सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

4 विवाहित महिलाएं :->

किसी अन्य साधारण ग्राहक की भांति एक बैंकर किसी विवाहित महिला के नाम का खाता भी खोल सकता है, किन्तु उसे उधार देते समय बैंकर को चाहिए कि उसकी अपनी परिसम्पत्तियों की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि वे ऋण की राशि की रक्षा करने के लिए काफी हैं। एक अमुक्त दिवालिया व्यक्ति की पत्नी का खाता खोलते समय बैंकर को सतर्कता से काम लेना चाहिए।

5) (JHF) संयुक्त हिन्दू परिवार :-> संयुक्त हिन्दू परिवार में वे सब व्यक्ति तथा उनकी पत्नियां सम्मिलित होती हैं जो एक सामान्य पूर्वज के वंशज होते हैं। JHF की अवधारणा को कानूनी मान्यता प्राप्त है। जब कोई खाता JHF के नाम से खोला जाता है तब सभी वयस्क सदस्यों को खाता खोलने वाले फार्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं यद्यपि इस खाते का संचालन परिवार के मुखिया द्वारा किया जाता है। JHF मिताक्षरा कानून द्वारा नियंत्रित होता है इस कारण परिवार के सभी सदस्यों को जन्म से ही संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है ऐसी परिस्थिति में यह खतरा बन

रहा है कि उस सदस्य द्वारा ऋण से इंकार कर दिया जाए जिसका ऋण देने की तिथि पर जन्म भी नहीं हुआ होता। ऐसी अनेक कठिनाइयों से बचने के लिए बैंक HUF के ग्राहक से माँग करते हैं कि वह इस प्रयोजन का एक वक्तव्य दे कि जमा कराई गई मुद्रा उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति है न कि हिंदू अविभाजित परिवार की।

6 साझेदारी फर्म → साझेदार फर्म के नाम का खाता बैंक द्वारा तभी खोला जाना चाहिए जब कोई एक या एक से अधिक साझेदार इस संबंध में आवेदन पत्र दें। बैंकर को सभी साझेदारों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र प्राप्त करना चाहिए। इस पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख जरूरी है: सभी साझेदारों के नाम पते, फर्म के व्यापार की प्रकृति उन साझेदारों के नाम जिन्हें फर्म के नाम के खाते को संचालित करने का अधिकार है। फर्म के नाम के चेक को बैंकर अन्य साझेदार से पूछे बिना किसी एक साझेदार के व्यक्तिगत खाते में जमा नहीं कर सकता।

(7) न्यासी → खाता खोलते समय बैंक को खाता खोलने और उसका संचालन करने के बारे में जो हिदायतें ट्रस्ट विलेख में लिखी जाती हैं उनकी जांच बैंकर को कर लेनी चाहिए। एक न्यासी की मृत्यु हो जाती है या वह निवृत्त हो जाता है तो सूचना पाने पर बैंक को खाते के संचा संचालन को निलंबित कर देना चाहिए।

(8) समितियां तथा धार्मिक संस्थाएँ → ऐसी समितियों का खाता खोलने से पहले यह जांच कर लेनी चाहिए कि क्या खाता खोलने पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है। कुछ राज्यों में बिना समितियों के रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना समितियां व्यापारिक बैंकों में खाता नहीं खोल सकतीं। अनुमति देते समय रजिस्ट्रार कुछ शर्तें पूरी करने को कह सकता है। खाता खोलने तथा उसका परिचालन करने के लिए इन सभी शर्तों का पालन करना होता है।

(9) क्लब → क्लबों की अपनी समिति / कार्यकारिणी समिति / प्रबंध निकाय आदि होते हैं खाता खोलते के समय बैंक को नियमों / प्रबंध निकाय द्वारा पास किए गए प्रस्तावों की

प्रमाणित प्रति का सत्यापन कर लेना चाहिए। विनियमों के अनुसार खाता अधिकृत व्यक्ति के नाम खोला जाना चाहिए। इन खातों के परिचालन की स्थिति में जिन व्यक्तियों को खाते का परिचालन करने का अधिकार दिया गया हो उनके हस्ताक्षरों का सत्यापन बैंक को सावधानी पूर्वक करना चाहिए।

(10) निष्पादक तथा प्रशासक :-> जिस व्यक्ति को वसीयत के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसे निष्पादक कहते हैं। प्रशासक उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे न्यायालय नियुक्त करता है। प्रशासक ऐसे व्यक्ति की संपदा की देख रेख करता है जो बिना वसीयत किए मर जाता है। निष्पादक / प्रशासक का खाता खोलने से पहले बैंक को वसीयत की विषयवस्तु का सावधानी से अध्ययन कर लेना चाहिए।

(11) संयुक्त खाता :-> संयुक्त खाता दो व्यक्तियों के नाम पर खोला जाता है। इस प्रकार के खातों का परिचालन करने के लिए बैंक द्वारा खाता धारकों से इस बारे में हिदायत ली जाती है कि क्या खाते का परिचालन एक

व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति या संयुक्त रूप से सभी द्वारा या किसी नामित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। संयुक्त खाता धारक के दिवालिया होने पर परिचालन रोक देना चाहिए तथा शोधक्षम ग्राहकों तथा सरकारी समनुदेशिती से यह पूछा जाता है कि समस्त जमा शेष किसमें निहित होंगे।

(12) उपभोक्ता का न्यायवादी :-> बैंक उपभोक्ता का न्यायवादी (वकील) बैंकिंग कानून के क्षेत्र का एक वैध विशेषज्ञ होता है। बैंक से झगड़ा हो जाने की स्थिति में एक उपभोक्ता बैंक के निर्णय को न्यायालय में चुनौती देने हेतु वकील की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है।

(13) संयुक्त पूंजी कम्पनियाँ :-> संयुक्त पूंजी कम्पनी के खाते के संबंध में बैंक इन दस्तावेजों की माँग करता है : (i) निदेशक बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव (ii) संस्था नियमावली की एक प्रति (iii) संस्था के अंतर्नियमों की एक प्रति (iv) निगमन प्रमाण-पत्र (v) व्यापार को प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। निदेशक बोर्ड के प्रस्ताव की हिदायत के अनुसार खाते का परिचालन किया जाएगा।

Unit = IXth

विनिमय साध्य लेखपत्र (विपत्र): अर्थ, विशेषताएँ एवं धारक Negotiable Instruments: Meaning, features and Holders.

भूमिका :-

भारतवर्ष में विनिमय साध्य लेखपत्रों का अधिनियम, 1881 में बना। इस अधिनियम के पारित होने से पहले भारतवर्ष में अंग्रेजी विनिमय साध्य लेखपत्र अधिनियम में दिए गए नियम लागू होते थे। वर्तमान अधिनियम कुछ संशोधनों के साथ इंग्लैंड के अधिनियम पर ही आधारित है। प्रस्तुत अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम 1 March 1882 से लागू किया गया है।

अर्थ :-

'विनिमय साध्य' का अर्थ है, सुपुर्दगी द्वारा हस्तान्तरणीय, तथा 'लेखपत्र' वह लिखित प्रलेख है जो किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार निर्मित करता है।

परिभाषा :-

न्यायाधीश विलिस के अनुसार :- "विनिमय साध्य लेखपत्र ऐसा पत्र है जिसका स्वामित्व ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है जो कि लेखपत्र को सद्भावना के साथ तथा मूल्य के बदले में प्राप्त करता है, चाहे मूल ही किसी व्यक्ति में दोष ही क्यों न हो।"

(विनिमय साध्य लेखपत्र के आवश्यक लक्षण)

(i) यह लिखित होता है।

(ii) एक वाहक विनिमय साध्य लेखपत्र केवल सुपुर्दगी और आदेशित लेखपत्र बेचान तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जाता है।

(iii) इसका धारक अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(iv) इसमें प्रतिफल का उल्लेख नहीं होता, केवल इसे मूल्यवान प्रतिफल होना मान लिया जाता है।

(v) यह मुद्रा के रूप में कार्य करता है, एक उसके समान एक हाथ से दूसरे हाथ को हस्तांतरित होता है।

(vi) हस्तांतरिती को हस्तांतरण करते समय सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

प्रतिज्ञा पत्र (Promissory Note)

भारतीय अधिनियम की धारा 4 के अनुसार,

भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार,

प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित पत्र (बैंक नोट व करेंसी को छोड़कर) है, जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और वह विशेष व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को एक निश्चित राशि चुकाने का वचन देता है।

प्रतिज्ञा-पत्र का नमूना

₹ 1500

बहादुरगढ़
20 जनवरी

मांग करने पर (या आज से तीन महीने बाद) मैं श्री अशोक कुमार या उनके आदेशित व्यक्ति को ₹ 1500 आज से भुगतान किये तक 10% वार्षिक दर से ब्याज सहित देने की प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है।

हस्ताक्षर | मुद्रांक राम किशोर

विनिमय-पत्र या बिल (Bills of Exchange)

भारतीय विनिमय-साध्य विलेख अधिनियम, 1881 के अनुसार "

विनिमय-पत्र एक शर्तरहित, लिखित तथा लेखक द्वारा हस्ताक्षरित आज्ञा-पत्र है जिसमें लिखने वाला एक निर्दिष्ट व्यक्ति को आदेश देता है कि वह निश्चित अवधि पश्चात् अथवा मांगने पर इसे अथवा इसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को अथवा विनिमय पत्र के धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे

विनिमय-पत्र का नमूना

₹ 5,000

नई दिल्ली
18 May 2010

टिकट

आज से दो माह बाद मुझे मेरे आदेशानुसार 5000 हजार रुपये का भुगतान दीजिए, जिसका मूल्य प्राप्त हो चुका है।

श्री मदन लाल, 280 कमला नगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

निखिल जैन

चैक (Cheque):-

चैक एक शर्तरहित लिखित तथा लेखक द्वारा हस्ताक्षरित आज्ञापत्र है, जिसमें लिखने वाला एक निर्दिष्ट अथवा उसके आदेशानुसार अथवा वाहक को इसमें से लिखित राशि का भुगतान कर दे।

भारतीय विनिमय साध्य लेख-पत्र अधिनियम की धारा 6 के अनुसार:- चैक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी निर्दिष्ट बैंक पर लिखा जाता है और स्पष्ट रूप से माँग किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं होता।

(चैक का रेखांकन)

रेखांकन का अर्थ:- जब चैक के मुख पर दो तिरछी या समांतर रेखा खींच दी जाती है, तब वह चैक का रेखांकन कहलाता है ये रेखा अधिकतर चैक के बाईं ओर ऊपर के कोने में खींच दी जाती है। इन दोनों रेखाओं के

बीच में कभी कुछ लिख दिया जाता है तो कभी कुछ,

हर एक रेखांकित चैक वह है जिसके मुख पर बाएं और तिरछी समांतर रेखाएं कुछ शब्दों सहित अथवा बिना शब्दों के खींच दी जाती है।

रेखांकित चैक भुगतान की दृष्टि से अधिक सुरक्षित माने जाते है क्योंकि रेखांकित चैक का भुगतान वाहक को भी तुरन्त खिड़की से नहीं होता, भुगतान पाने वाला उस चैक को उस बैंक में जहां उसका खाता होता है, जमा करा देता है, और रुपया निकलवाने के लिए अलग से चैक काटना पड़ता है। अतः कोई व्यक्ति इसका भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता।

(रेखांकन के प्रकार)

साधारण अथवा सामान्य रेखांकन	विशेष रेखांकन
General Crossing	Special Crossing

साधारण रेखांकन :- General Crossing

जब किसी चैक के मुख पर दो समान्तर रेखाओं के बीच '& Company' अथवा दो समान्तर रेखाएं [शब्द अपरक्रमय । Not Negotiable के सहित अथवा उसके बिना खींची हो तो ये साधारण रेखांकन कहलाती है। इस प्रकार के रेखांकन में किसी प्रकार के बैंक का नाम नहीं लिखा जाता है। (धारा 123)

① & Company

② and Company

③ Not Negotiable

विशेष रेखांकन :-

जब चैक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समान्तर रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिख दिया जाता है। तथा इसमें किसी विशेष बैंक का नाम लिखना अनिवार्य है। विशेष रेखांकन में चैक का भुगतान सिर्फ उसी बैंक से लिया जा सकता है जिस बैंक का नाम रेखांकन में लिखा होता है। यदि उसका खाता उस बैंक में नहीं है, तो उस बैंक में उसका खाता खोलना पड़ता है। विशेष रेखांकन चैक को और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है।

① & Company, Punjab N.B.

② Payees A/C only, Union Bank

③ Not Negotiable, Bank of India

④ A/C Payee Bank of America

चैक का रेखांकन कौन कर सकता है।

(i) चैक जारी होने से पहले उसका आहर्ता उस पर साधारण अथवा विशेष रेखांकन कर सकता है। चैक के जारी होने के बाद,

(ii) यदि चैक रेखांकित नहीं है, तो धारक उस पर साधारण अथवा विशेष रेखांकन कर सकता है।

(iii) यदि चैक पर साधारण रेखांकन है, तो धारक उस पर विशेष रेखांकन कर सकता है।

(4) चैक पर अपराक्रम्य लिखने का प्रभाव

एक चैक पर अविनिमय साध्य / अपराक्रम्य शब्द लिखकर रेखांकन किया जा सकता है, इन शब्दों का प्रभाव यह होता है कि चैक का विनिमय नहीं किया जा सकता है। अर्थात् पृष्ठांकन द्वारा चैक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बेचानकर्ता से अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं होता। चैक पर अपराक्रम्य लिख देने का अर्थ

यह नहीं होता कि उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

उदा० →
A कपट द्वारा B से एक चैक प्राप्त कर लेता है, जिस पर And Co. तथा अपराक्रम्य शब्द लिखा हुआ है, A बैंक C से इस चैक का भुगतान प्राप्त कर लेता है। B द्वारा बैंक के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए विवाद में यह निर्णय दिया गया कि बैंक चैक की रकम के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि A का चैक पर कोई अधिकार नहीं था।

यथाविधिधारी →
यथाविधिधारी वह है जो निम्नलिखित बातों को सिद्ध करता है।

(i) वह धारी है अर्थात् विलेख उसके अधिकार में है, यदि वह वाहक को देय है अथवा वह उसका आदाता या पृष्ठांकिती है, यदि वह आदेश पर देय है।

(ii) वह विलेख में धन के देय होने से पहले ही अर्थात् परिपक्वता से पहले ही उसका धारी हुआ था।

(iii) वह प्रतिफल के बदले धारी हुआ था, ऐसा प्रतिफल कोई किसी अनुबंध के लिए होना चाहिए था। इस प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी विलेख को दान के रूप में प्राप्त करता है, यथाविधि धारी नहीं है परन्तु वह धारी हो सकता है और उसे केवल वही अधिकार प्राप्त होंगे जो दान देने वाले के होते हैं।

| यथाविधि धारी के प्रकार |

| धारक या धारी | मूल्य के लिए धारी | यथाविधि धारी |

धारक या धारी :- धारा 8 के अनुसार किसी विनिमय साध्य लेखपत्र का धारक वह व्यक्ति है जो वैधानिक रूप से उसे अपने पास रखने का तथा भुगतान तिथि पर देय धन को प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति केवल उस पर अधिकार प्राप्त करते ही उसका धारक नहीं बन जाता है।

इसके लिए धारक को अपने नाम में लेखपत्र को रखने का अधिकार प्राप्त करना होगा।

1. उसे लेखपत्र को अपने नाम में ही रखने का अधिकार होना चाहिए।
2. उसे नाम से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।

मूल्य के लिए धारी :- यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे विनिमय साध्य लेखपत्र का धारी है, जिसका मूल्य पहले किसी समय दिया जा चुका है, तो वह मूल्य के लिए धारी कहा जाता है।

यथाविधिधारी :- धारा 9 के अनुसार यथाविधि धारी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो प्रतिफल के बदले में लिखित धन को देय होने से पहले तथा इस विश्वास के लिए पर्याप्त कारण न रखते हुए कि जिस व्यक्ति से स्वत्व प्राप्त किया था, उसके में कोई दोष विद्यमान था।

यथाविधि धारी होने के लिए उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा।

④ यह विनिमय लेखपत्र का धारी है यदि वह लेखपत्र वाहक को देय है।

④ परिपक्वता अवधि से पहले उसने लेखपत्र को स्वीकार किया था।

यथाविधिधारी के विशेषाधिकार

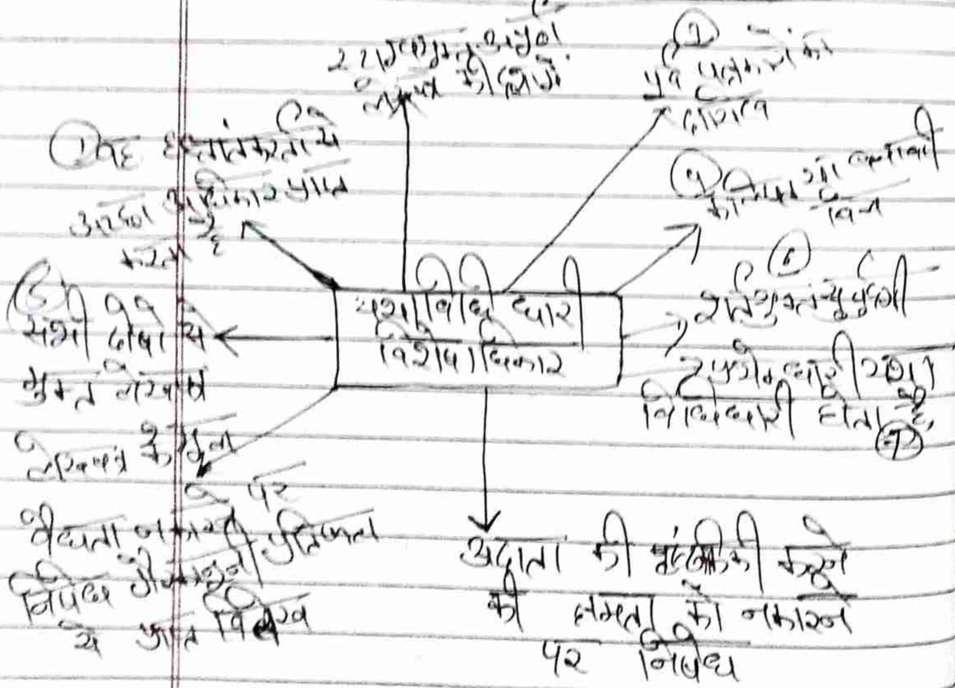

④ वह हस्तांतरणकर्ता से उत्तम अधिकार प्राप्त करता है।

यथाविधिधारी हस्तांतरणकर्ता से उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है,

उदा० एक वाहक को देय विनिमय विपत्र लेखपत्र चुरा लेता है। किंतु वह उस पर बाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। किंतु सद्भावना से इसे प्रतिफल के बदले में प्राप्त किया है। यहाँ B यथाविधिधारी है, और लेखपत्र के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

④ स्टाम्पयुक्त लेखपत्र की दशा में:

यदि स्टाम्पयुक्त अपूर्ण लेखपत्र का धारक या वास्तविक भुगतान करने वाला अपूर्ण लेखपत्र में अधिकृत रकम से अधिक रकम लिख देता है, तो ऐसी स्थिति में वह संपूर्ण रकम के लिए लेखपत्र को प्रवर्तनीय नहीं करवा सकता।

④ पूर्व पक्षकारों का दायित्व: विनिमय विधि

साधारण लेखपत्र के सभी पक्षकार यथाविधि धारी के प्रति उस समय तक संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी

रहते हैं, जब तक कि लेखपत्र यथोचित रूप से संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है।

4. कल्पित या बनावटी बिल :- यदि कोई विनिमय विपत्र कल्पित रूप से लिखा गया है, और लेखक के आदेश पर देय है तो ऐसे बिल को कल्पित विपत्र कहा जाता है।

5. शर्तयुक्त सुपुर्दगी :- यथाविधिधारी है कोई लेखपत्र हस्तान्तरित किए जाने के पश्चात लेखपत्र के अन्य पक्षकार से यह कहकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते कि लेखपत्र की सुपुर्दगी शर्तयुक्त या किसी विशेष उद्देश्य के लिए थी।

6. प्रत्येक धारी यथाविधिधारी होता है :- जब तक विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए तब तक न्यायालय यह मानता है

कि किसी लेखपत्र का धारी एक यथाविधिधारी है, परन्तु यदि लेखपत्र किसी अपराध अथवा कपट द्वारा अथवा किसी अवैधानिक प्रतिफल के बदले में प्राप्त किया गया हो, तो सिद्ध करने का भार कि विलेख का धारी यथाविधिधारी है, उस पर ही होगा।

Negotiable Instruments.

Liabilities of Parties to Negotiable Instruments

लेखपत्र से संबंधित पक्षकारों के पृथक-२ दायित्व निम्न प्रकार है,

1) विनिमय पत्र के लेखक का दायित्व :- धारा 30 के अनुसार विनिमय पत्र का लेखक अर्थात आहर्ता प्रारम्भिक रूप से धारक के प्रति दायी नहीं होता।

2) प्रतिज्ञा पत्र के लेखक का दायित्व :- प्रतिज्ञा पत्र का लेखक परिपक्वता की तिथि पर वाहक को भुगतान करने के लिए बाध्य है, यदि प्रतिज्ञा पत्र वाहक है और यदि प्रतिज्ञा पत्र किसी विशेष व्यक्ति अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को देय है तो लेखक परिपक्वता की तिथि पर उस विशेष व्यक्ति अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को भुगतान के लिए बाध्य है।

3) चैक के लेखक का दायित्व :- यदि किसी चैक को बैंक अनादरित कर देता है अथवा उसका

भुगतान नहीं करता तो चैक का लेखक उसके धारक को उसका भुगतान करने के लिए बाध्य है।

4) विपत्र के स्वीकर्ता का दायित्व → किसी विनिमय पत्र का आहार्यी विनिमय विपत्र स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अस्वीकार कर देने पर उसका कोई भी दायित्व नहीं होता। किन्तु जब वह उसे स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी स्वीकृति की शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए बाध्य हो जाता है।

5) चैक के आहार्यी का दायित्व → चैक के देनदार को जिसके ऊपर चैक लिखा गया हो चैक का भुगतान उसी समय कर देना चाहिए जब चैक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए बशर्ते चैक के लिखने वाले के खाते में बैंक के पास पर्याप्त धनराशि जमा हो।

6. पृष्ठांकक का दायित्व :- बेचान करने वालों का दायित्व भी ठीक वैसे ही है जैसे लेखपत्रों के लिखने वालों का।

7) पूर्व पक्षकारों का दायित्व :- धारा 35 के अनुसार प्रत्येक पक्षकार अपने पूर्व पक्षकार

तथा यथाविधिधारी के प्रति, लेखपत्र का भुगतान होने के समय तक दायी रहता है लेखपत्र से संबंधित पक्षकारों का दायित्व उस समय ही समाप्त होता है जबकि लेखपत्र का भुगतान हो जाता है

बिना प्रतिफल वाला लेखपत्र →

बिना प्रतिफल के लिखा गया स्वीकार किया गया बेचान अथवा हस्तांतरित किया गया लेखपत्र अथवा जिसका प्रतिफल समाप्त हो गया हो, पक्षकारों के बीच कोई अधिकार अथवा दायित्व उत्पन्न नहीं कर पाता, परन्तु धारा 43 के प्रभाव से ऐसे लेखपत्र को प्रतिफल के बदले प्राप्त करने पर ऐसा धारक तथा उससे लेखपत्र के अधीन स्वत्व प्राप्त करने वाले सभी पक्षकार पूर्व पक्षकारों से लेखपत्र की रकम वसूल कर सकते हैं

अवैधानिक प्रतिफल के बदले में प्राप्त विलेख →

अनुबंधों का सामान्य नियम कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसका उद्देश्य अथवा प्रतिफल अवैधानिक या अनैतिक होते हैं व्यर्थ होता है, ऐसे विनिमय साध्य विलेखों पर लागू होते हैं

जो अवैधानिक प्रतिफल के लिए प्राप्त किए गए। उदाहरण के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र जो कि झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति के प्रति लिखा गया हो पक्षकारों के बीच कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करता परन्तु यथाविधिधारी विलेख में अच्छा स्वत्व प्राप्त कर लेता है

विनिमय साध्य लेखपत्रों का बेचान →

जब किसी विनिमय साध्य विलेख का धारक जिसे उस विनिमय साध्य विलेख का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार हो अपने इस अधिकार को हस्तांतरण करने के उद्देश्य से उसकी पीठ पर या चिट पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसे बेचान कहते हैं जो व्यक्ति बेचान करने के लिए अपने हस्ताक्षर करता है वह बेचानकर्ता कहलाता है और जिस व्यक्ति के पक्ष में बेचान किया जाता है वह बेचान पात्र कहलाता है

लेखपत्र के धारी या धारक द्वारा लेखपत्र के बनाने वाले के हस्ताक्षर द्वारा जो बनाने वाले की हैसियत से नहीं किए

जोते, आहर्ता, आदाता आदि बेचान कर सकता है।

एक अजनबी लेखपत्र का बेचान नहीं कर सकता यदि वह कर देता है तो उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब एक अजनबी एक लेखपत्र का बेचान कर देता है तो वह BACKER कहलाता है।

Kinds of Endorsement ⟶

1) साधारण बेचान ⟶ धारा 13 के अनुसार जब बेचान करने वाला उस व्यक्ति का नाम न लिखे जिसके लिए वह बेचान कर रहा है और वह केवल अपने नाम से हस्ताक्षर कर दे तो ऐसे बेचान को साधारण सामान्य या कोरा बेचान कहते हैं।

2) पूर्ण या विशेष बेचान ⟶ जब बेचान करने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करने से पहले इस आशय का एक आदेश जोड़ देता है कि विलेख की राशि किसी विशिष्ट व्यक्ति को अथवा उसके आदेश पर चुकाई जाए तो यह

3) प्रतिबंधित बेचान ⟶

जब बेचानकर्ता बेचान करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिनका अर्थ यह हो कि भविष्य में ऐसे विलेख का बेचान नहीं किया जा सकता तब इस प्रकार के बेचान को प्रतिबंधित बेचान कहा जाता है।

4) आंशिक बेचान ⟶

यदि बेचानकर्ता विलेख में दी गई रकम का कुछ भाग देने के लिए ही आदेश देता है तो इस प्रकार का बेचान आंशिक बेचान कहलाता है। आंशिक बेचान साधारणतया त्रुटिपूर्ण होता है क्योंकि विधानानुसार आंशिक पराक्रमण मान्य नहीं होता।

5) शर्तयुक्त बेचान ⟶

जब बेचान करने वाला बेचान करते समय स्पष्ट शब्दों द्वारा अपने दायित्व को सीमित कर देता है तो ऐसे बेचान को शर्तयुक्त बेचान कहते हैं।

परक्रामण

Negotiation ⇒

विनिमय अथवा परक्रामण से आशय लेखपत्र को चलन में रखने से होता है अन्य शब्दों में परक्रामण का अर्थ विनिमय साध्य लेखपत्र के धारक के अधिकार स्वामित्व एवं हित के हस्तांतरण से है ताकि हस्तांतरिती को अच्छा अधिकार मिले और वह यथाविधि धारी बन जाए चाहे हस्तांतरणकर्ता का अधिकार दोषपूर्ण ही हो।

Modes of Negotiation ⇒

जब कोई विलेख वाहक को देय है तो परक्रामण केवल सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है। परंतु जब कोई विलेख किसी व्यक्ति के आदेशानुसार देय है तो उसका परक्रामण उसके द्वारा पृष्ठांकन एवं सुपुर्दगी द्वारा पूरा होता है।

1) केवल सुपुर्दगी द्वारा परक्रामण ⇒

जब कोई प्रतिज्ञा पत्र विनिमय पत्र, अथवा चैक वाहक को देय हो तो उसका परक्रामण केवल

सुपुर्दगी द्वारा हो जाता है।

2) बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा परक्रामण ⇒

जब विनिमय साध्य लेखपत्र वाहक को देय न होकर किसी निश्चित व्यक्ति को देय हो या निश्चित व्यक्ति के आदेशानुसार देय हो तो ऐसे लेखपत्र आदेशानुसार देय कहलाते हैं और उनका परक्रामण बेचान एवं सुपुर्दगी द्वारा ही किया जा सकता है।

एक विनिमय साध्य लेखपत्र उस समय तक परक्रामण किया जा सकता है जब तक परिपक्वता के समय अथवा उसके बाद लेखक या स्वीकर्ता द्वारा उसका भुगतान या संतुष्टि न हो जाए, परंतु भुगतान या संतुष्टि के बाद नहीं।

अभिहस्तांकन या अभिहस्तांतरण ⇒

अभिहस्तांकन या अभिहस्तांतरण से आशय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अधीन किसी वस्तु का लिखित तथा रजिस्टर्ड उपपत्र द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का हस्तांतरण करता है

Page No. 86

अभिहस्तांकन तथा परक्रामण में अन्तर

1) हस्तांतरण के लिए आवश्यकता :- परक्रामण में पृष्ठांकन या बेचान तथा सुपुर्दगी की आवश्यकता होती है जबकि अभिहस्तांकन में हस्तांतरण करने वाले के हस्ताक्षरों सहित एक लिखित प्रलेख की आवश्यकता होती है।

2) सूचना की आवश्यकता :- अभिहस्तांकन को पूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने के लिए हस्तांतरिती का कर्तव्य है कि वह ऋणदेदार को सूचित करे जिससे हस्तांतरिती का अधिकार लेखपत्र का पूरा माना जा सके जबकि परक्रामण में इस प्रकार की किसी सूचना की कोई आवश्यकता नहीं।

3) श्रेष्ठ अधिकार की प्राप्ति :- परक्रामण की दशा में हस्तांतरिती को यथाविधि - धारी के रूप में लेखपत्र पर निर्दोष और अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाता है चाहे हस्तांतरण करने वाले का अधिकार दोषपूर्ण हो जबकि अभिहस्तांतरण की दशा में ऐसा नहीं अर्थात यदि हस्तांतरण करने वाले का अधिकार दोषपूर्ण है तो हस्तांतरिती का अधिकार भी दोषपूर्ण होगा।